**आदेश 22 नियम 4 सि. प्र. सं. के अधीन आवेदन पत्र**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

आवेदक निम्नलिखित रूप में अति सादरपूर्वक निवेदन करता है

1. यह कि वादी की मृत्यु तारीख........... .................को हो गयी।
2. यह कि मृत प्रतिवादी का.............. में स्थायी तौर पर निवास करने 'वाला उसका पुत्र..........................आयु.......................उत्तरजीवी छोड़ दिया जाता है और वह मृत प्रतिवादी का मात्र विधिक प्रतिनिधि है।
3. यह कि वाद लाने का अधिकार प्रतिवादी की मृत्यु के बावजूद भी बचा रहता है।

**प्रार्थना**

यह अतएव, अति सादर पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि मृत प्रतिवादी के पुत्र को मृत प्रतिवादी के स्थान पर वाद का एक पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया जाय।

यह तद्नुसार प्रार्थना की जाती है।

**वादी**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान............**

**तारीख.........**